न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 33/2025 (Bank Case)

GCMS No. 2025/211

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ब्रांच ऑफिस– तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, नालबोय नगर, जयपुर, राजस्थान–302001 में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा।।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. विनोद कुमार मिनोचा पुत्र श्री रामलुभाया मिनोचा —(ऋणी / बंधककर्ता)
   पता– वार्ड नम्बर 11, पंजाबी मोहल्ला, राजेश टाकीज के सामने, रामगंजमण्डी, कोटा (राज0)–326519
   अन्य पता– मकान जो की पंजाबी गली, कस्बा रामगंजमण्डी, तह0– रामगंजमण्डी कोटा (राज0)–326519
   अन्य पता– मैसर्स वी.के. एन्टरप्राइजेज, बाजार नं0 4, मालगोदाम चौराहे के पास, रामगंजमण्डी, कोटा
2. श्रीमती कुसुम मिनोचा —(सह–ऋणी)
   पता– वार्ड नम्बर 11, पंजाबी मोहल्ला, राजेश टाकीज के सामने, रामगंजमण्डी, कोटा (राज0)–326519
   अन्य पता– मकान जो की पंजाबी गली, कस्बा रामगंजमण्डी, तह0– रामगंजमण्डी कोटा (राज0)–326519
   अन्य पता– वी.एन.स्टोन इण्डस्ट्रीज, बाजार नं0 4, मालगोदाम चौराहे के पास, रामगंजमण्डी, कोटा
3. दीपक कुमार —(सह–ऋणी)
   पता– वार्ड नम्बर 11, पंजाबी मोहल्ला, राजेश टाकीज के सामने, रामगंजमण्डी, कोटा (राज0)–326519
   अन्य पता– मकान जो की पंजाबी गली, कस्बा रामगंजमण्डी, तह0– रामगंजमण्डी कोटा (राज0)–326519
4. प्रदीप कुमार मिनोचा —(सह–ऋणी)
   पता– वार्ड नम्बर 11, पंजाबी मोहल्ला, राजेश टाकीज के सामने, रामगंजमण्डी, कोटा (राज0)–326519
   अन्य पता– मकान जो की पंजाबी गली, कस्बा रामगंजमण्डी, तह0– रामगंजमण्डी कोटा (राज0)–326519

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:–
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 28.01.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसका जिसका ब्रांच ऑफिस– तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, नालबोय नगर, जयपुर, राजस्थान–302001 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तिय संस्था से ऋण करार दिनांक 22.05.2018 से खाता संख्या LBRMG00004492105 में रुपये 58,00,000/–(अक्षरे: अठ्ठावन लाख रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामलुभाया मिनोचा पुत्र श्री शेख सगीर की एक आवासीय सम्पत्ति पंजाबी गली, कस्बा रामगंजमण्डी, तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2102 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में– शेष मकान स्व0 श्री

राम लुभाया काविज श्रीमति मंजु मिनोचा, पश्चिम में– गली बाद मकान श्री हरभगवानदास मदान, उत्तर में– गली बाद मकान हीरालाल बापूलाल, दक्षिण में– आम रास्ता पंजाबी गली, है को प्रार्थी वित्तिय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.06.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 48,33,581.34 / –(अक्षरे अडतालीस लाख, तैतीस हजार पाच सौ इक्यासी रूपये एवं चौतीस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 29.07.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तिय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 29.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 29.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता **श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामलुभाया मिनोचा पुत्र श्री शेख सगीर की एक आवासीय सम्पत्ति पंजाबी गली, कस्बा रामगंजमण्डी, तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2102 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– शेष मकान स्व0 श्री राम लुभाया काबिज श्रीमति मंजु मिनोचा, पश्चिम में– गली बाद मकान श्री हरभगवानदास मदान, उत्तर में– गली बाद मकान हीरालाल बापूलाल, दक्षिण में– आम रास्ता पंजाबी गली,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.01 .2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समरिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)